लॉकर्स की जांच सबूत नहीं मिलने पर ई.डी. की टीम खाली हाथ लौटी

हालांकि इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी अभी भी लॉकर्स की जांच में जुटे हुए हैं

जयपुर। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा के आरोपों के बाद गणपति प्लाजा में लॉकर्स की जांच करने पहुंची ईडी की टीम सबूत नहीं मिलने पर शनिवार को लौट गई। हालांकि इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी अब भी लॉकर्स की जांच में जुटे हुए हैं। उधर, शुक्रवार को ईडी ने पेपर लीक मामले में दिनेश खोदानिया, अशोक कुमार जैन, प्रेरणा चौधरी, सुरेश ढाका और अन्य के जयपुर डूंगरपुर सहित कई आवासीय परिसरों पर सर्च की कार्रवाई की। इस दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, संपत्तियों के बिक्री कार्यों की प्रतियां, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और 24 लाख रुपये बरामद कर जब्त किए गए।

■ **ईडी ने पेपर लीक मामले में दिनेश खोड़ानिया, अशोक कुमार जैन, प्रेरणा चौधरी व सुरेश ढाका सहित अन्य के जयपुर डूंगरपुर और जोधपुर सहित कई आवासीय परिसरों की तलाशी लेकर आपत्तिजनक दस्तावेज, संपत्तियों के बिक्री कार्यों की प्रतियां, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और 24 लाख रुपये बरामद कर जब्त किए।**

दरअसल, किरोड़ीलाल मीणा ने आरोप लगाया था कि डीओआईटी के जीजीएम सीपी सिंह के गणपति प्लाजा स्थित रोयरा सेफ्टी वाल्ट में पांच लॉकर्स हैं। जिनमें भ्रष्टाचार के करोड़ों रुपए छिपाकर रखे गए हैं। ईडी की टीम जीजीएम सीपी सिंह के सी-स्कीम स्थित मकान पहुंची थी, वहां ताला लगा हुआ मिला। नौकर ने फोन पर मालिक से बात करवाई। टीम ने घर पर कुछ देर सर्च भी किया, लेकिन बाद में निकल गए। सीपी सिंह ने मीडिया को बताया कि ईडी अधिकारियों से उनकी फोन पर बात हुई थी। उन्होंने गणपति प्लाजा में ईडी अधिकारियों के पास चाबी भिजवा दी थी। उन्होंने बताया कि 3 सालों से उन्होंने इस लॉकर को यूज नहीं किया है। इसकी जानकारी लॉकर संचालकों के पास है।

सूत्रों के अनुसार प्राइवेट लॉकर में ईडी के टारगेट पर तीन लॉकर्स थे। इनमें नकदी, ज्वैलरी और निवेश के दस्तावेज़ निकलने की उम्मीद थी। यह लॉकर सीपी सिंह के बताए जा रहें थे। शुक्रवार रात 12 बजे के बाद इन लॉकर्स की पहचान होने के बाद आयकर आधिकारियों और रोयरा सेफ्टी वाल्ट कर्मचारियों के सामने उन्हें खोला गया। इस दौरान सभी तीनों लॉकर्स खाली निकले। इसके बाद ईडी के अधिकारी यहां से लौट गए।

वहीं शनिवार को ईडी और इनकम टैक्स विभाग की टीमों ने लॉकर्स की जांच की। आयकर आधिकारियों ने अब तक 650 से अधिक लॉकर्स की जांच की है। इन सभी लॉकर्स की चाबियां प्राइवेट लॉकर्स संचालक के पास थी। इस दौरान सभी लॉकर्स खाली मिले। रोयरा सेफ्टी वाल्ट में करीब 1100 लॉकर्स बताए जा रहे हैं। इनकम टैक्स के अधिकारी शेष रहे करीब 450 लॉकर्स के आवंटन दस्तावेज की जांच में जुटे हुए है। इनकम टैक्स के अधिकारियों ने 100 से अधिक लॉकर धारकों को चाबी लेकर बुलाया था, लेकिन वे अब तक नहीं आए हैं। रोयरा सेफ्टी वाल्ट कर्मचारियों के अनुसार कुछ लॉकर्स किसी को आवंटित नहीं है। ऐसे लॉकर्स की चाबियां भी नहीं मिली।

गौरतलब है कि शुक्रवार की सुबह 5 बजे पेपरलीक मामले में ईडी की टीम कांग्रेस के सीनियर नेताओं के करीबियों के घर और ऑफिस पर छापेमारी की थी। टीम जयपुर, जोधपुर और डूंगरपुर में करीब 9 जगहों पर पहुंची। ये सभी घर और ऑफिस दिनेश खोड़निया, स्पर्धा चौधरी और अशोक जैन के थे। इस दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने पहले पीसी कर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। फिर गणपति प्लाजा में लॉकर कंपनी के ऑफिस पहुंच गए। किरोडी का दावा था कि इन लॉकर्स में 500 करोड़ रुपए का काला धन है और यह पैसा कई घोटालों से जुड़ा हुआ है।

रुफ गार्डन में दो सौ ग्राम तक नींबू

बनीपार्क स्थित एक सोसायटी में इक़बाल सिंह ने अमृतसर से नींबू की एक पौध मंगवाकर अपनी छत पर गमलों में फलदार पौधों का गार्डन बनाया है जिसमे चीकू, अनार, गुलाब के फूलों की कई वैरायटी लगाई है। इनमें बिना बीज के नींबू के पौधों पर 200 ग्राम तक के नींबू भी लगे हैं। उनका कहना है कि शहरों में रहने वाले लोग भी अपने घर की छत पर रूफ गार्डन तैयार करके उनमें अपनी पसंद के फल व फूलों को तैयार करके उसका प्राकतिक रूप से आनंद ले सकते हैं। बिना बीजवाले नींबू में सिट्रिक एसिड कम मात्रा में होता है और सिट्रिक एसिड ही वो चीज है, जो गुरदा एवं मूत्राशय में जाने के बाद की पथरी को पिघला देता है। ऐसे गार्डन से अपनी जरूरतों को पूर्ण करके आर्थिक बचत के साथ एक्स्ट्रा इनकम भी प्राप्त कर सकते हैं। फोटो : दिनेश भारद्वाज

'फुट एण्ड एंकल सर्जरी में नई तकनीक से अब पैर में पूरा मूवमेंट आएगा'

जयपुर। भारत में फुट एण्ड एंकल सर्जरी पर पहली अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस शनिवार को जयपुर के होटल मैरियट में शुरू हुई। कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करते हुए आईएम के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और राजस्थान अस्पताल के चेयरमैन डॉ. एस एस अग्रवाल ने कहा कि फुट एंड एंकल सर्जरी आर्थोपैडिक की तेजी से उभरती सब स्पेशलिटी है।

■ **देश-विदेश के दो सौ ऑर्थो सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन भाग ले रहे है।**

इसके कारण अब बढ़ती उम्र के कारण, स्पोर्ट्स इंजरी तथा कंजेनाइटल डिसऑर्डर से टखने का इलाज काफी आसान और सटीक हो गया है। नवीन तकनीक से होने वाले इलाज के कारण अब मरीज सर्जरी के बाद पूरी तरह से पंजे को मोड़ सकते हैं और पूरी मूबमेंट दे सकते हैं।

जयपुर में देश की अंतरराष्ट्रीय फुट एण्ड एंकल सर्जरी पर पहली कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया।

कॉन्फ्रेंस के प्रारंभ में आयोजन सचिव और जाने माने ऑर्थोपेडिशियन डॉ. राहुल उपाध्याय ने कहा कि फुट एंड एंकल सर्जरी पर भारत में पहली बार हो रही इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में 10 विदेशी स्पीकर्स के साथ कुल 200 प्रतिभागी शामिल हुए हैं।

उन्होंने बताया कि शनिवार को एंकल ट्रोमा को लेकर वैश्विक स्तर पर इसके इलाज में आए नये बदलावों पर चर्चा की गई। राजस्थान हॉस्पिटल में एक्सपर्ट सर्जन्स द्वारा की गई विशेष एंकल सर्जरी का कॉन्फ्रेंस स्थल होटल मेरियट में सीधा प्रसारण किया गया।

डॉ. उपाध्याय ने बताया कि एंकल सर्जरी में नई तकनीक की विशेषता यह है कि इसमें एंकल ट्रोमा के कारण खराब हुए एंकल पार्ट को हटाकर थ्री डी तकनीक से उसका नया हिस्सा बना कर रिप्लेस किया जाता है। इसके कारण मरीज के एंकल का मूवमेंट पहले की तरह बना रहता है। अभी तक इसके लिए एंकल को जाम किया जाता था, जिसके कारण मरीज जिंदगीभर पैर का पूरा मूवमेंट नहीं कर पाता था।

इंटरनेशनल सोसायटी ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड ट्रोमा (सीकोट), इंडियन फुट एण्ड एंकल सोसायटी और राजस्थान ऑर्थोपैडिक सर्जन्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में इस कॉन्फ्रेंस में फुट एण्ड एंकल सर्जरी से संबंधित एंकल आर्थराइटिस, एबीएन टेलस, एंकल स्पोर्ट्स इंजरी, ऑर्थो सर्जरी को लेकर रिसेंट अपडेट, नवीनतम सर्जिकल टैक्निक्स औऱ पेशेंट केयर को लेकर विशेषज्ञ चर्चा कर रहे हैं।

नरेंद्र हर्ष को प्रत्याशी घोषित करने की मांग

जयपुर। श्री पुष्टिकर ब्राह्मण सभा ने जयपुर शहर की ब्राह्मण सीटों पर अपनी दावेदारी जताते हुए भाजपा के प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व से नरेंद्र हर्ष को सांगानेर से पार्टी उम्मीदवार बनाने की मांग की है। सभा के अध्यक्ष जे पी शर्मा व सचिव किशोर हर्ष ने संघ पृष्ट भूमि के भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता नरेंद्र हर्ष को सांगानेर से चर्चा में चल रहे सभी दावेदारों से मजबूत बताते हुए कहा है।

नवरात्र स्थापना के बाद दीया कुमारी निकलेगी देव-दर्शन पर

जयपुर। विद्याधर नगर से भाजपा प्रत्याशी दीया कुमारी अपना चुनाव अभियान रविवार से शुरू करेंगी। नवरात्र स्थापना पर पारंपरिक पूजा अर्चना के बाद दीया कुमारी विद्याधर नगर के अग्रसेन सर्किल पर महाराज अग्रसेन आरती में भाग लेंगी तथा उसके बाद शाम चार बजे से विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर पहुँच कर दर्शन और पूजा अर्चना करेंगी। शाम 4 बजे से गणेश मंदिर तारानगर दर्शन, अंबा माताजी मंदिर अंबाबाड़ी, ढेहर के बालाजी, सियाराम बाबा की बगीची अंबाबाड़ी, पाप्ड़ के हनुमान, भूतेश्वर महादेव मंदिर दर्शन करेंगी तथा उसके बाद विद्याधर नगर स्टेडियम में श्री राम कथा की आरती, और त्रिपोलिया गेट पर अग्रसेन जयंती शोभायात्रा में शामिल होंगी दिया कुमारी ने शनिवार को विद्याधर नगर में जमुवाय माता मन्दिर जाकर पूजा अर्चना की।

'ऐसी क्या मजबूरी थी कि आचार संहिता लगने के समय करनी पड़ी नियुक्ति'

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्नल केसरी सिंह को आरपीएससी सदस्य बनाए जाने को अपनी गलती बताया। जिस पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने शनिवार को पलटवार किया। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि हर गलती सजा मांगती है, आखिरकार कब तक गलतियों पर गलतियां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे।

■ **मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान दर्शाता है कि पेपरलीक की वजह से जिन युवाओं का भविष्य खराब हुआ है उसके जिम्मेदार स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं : राजेन्द्र राठौड़**

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले महाभ्रष्ट आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा की नियुक्ति करके गलती की। इसी प्रकार डीपी जारोली की नियुक्ति करके गलती की, जिसे बर्खास्त करना पड़ा। एक तरफ आदर्श आचार संहिता लग रही थी, वहीं दूसरी तरफ आप राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संवैधानिक तंत्रों का बेजा इस्तेमाल कर नियुक्तियों की रेवड़ियां बांट रहे थे। राजस्थान पूछ रहा है कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको आचार संहिता के समय नियुक्तियां करनी पड़ी। राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में 70 लाख युवाओं के साथ धोखा हुआ है। पेपरलीक की घटनाएं इस सरकार पर बदनुमा दाग है। जिस आरपीएससी की साख थी उसे नष्ट कर दिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान ये दर्शाता है कि प्रदेश में 70 लाख युवाओं का जो भविष्य पेपरलीक की वजह से खराब हुआ है उसके जिम्मेदार स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं।

दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सजा

जयपुर, (का.सं.)। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त नरेश मीणा को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त का पीड़िता के साथ संबंध बनाना साबित है। वहीं यदि इसमें पीड़िता की सहमति भी है तो भी वह अपराध की श्रेणी में ही माना जाएगा। क्योंकि कानून की नजर में नाबालिग की सहमति कोई महत्व नहीं रखती है।

आशु सिंह के समर्थकों ने दिखाया दम

जयपुर। भाजपा की पहली सूची जारी होने के बाद लगातार चौतरफा विरोध झेलना पड़ रहा है। झोटवाड़ा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही है। झोटवाड़ा विधानसभा में पिछले 14 सालों से जनसेवा कर रहे आशु सिंह सूरपुरा के समर्थन में लोगों ने रैली निकाली। खातीपुरा स्थित एक गार्डन में हुए इस प्रदर्शन में जोश से लबरेज समर्थकों ने आशु सिंह सूरपुरा ज़िंदाबाद के नारे लगाए। सभा में एक पल ऐसा भी आया जब पूरा माहौल भावनात्मक हो गया।

गजेन्द्र सिंह मानहानि प्रकरण में निचली अदालत नहीं दे अंतिम आदेश

जयपुर । दिल्ली की विशेष अदालत ने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी घोटाले मामले में केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह व उनके परिजनों के खिलाफ बयानबाजी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आंशिक राहत दी है। विशेष न्यायालय ने मानहानि परिवाद पर सुनवाई कर रही निचली अदालत को निर्देश दिए हैं कि वह समन जारी करने के मामले में सुनवाई जारी रख सकती है, लेकिन कोई मामले में कोई अंतिम आदेश जारी नहीं करे। वहीं अदालत ने मामले में गजेंद्र सिंह के वकील को बहस करने के लिए 30 अक्टूबर और एक नवंबर का समय दिया है। अदालत ने यह आदेश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से दायर रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने गजेंद्र सिंह के वकील की ओर से कार में बैठकर वीसी से जुडने पर भी नाराजगी जताई। सुनवाई के दौरान गजेंद्र सिंह के अधिवक्ता ने मामले की सुनवाई कुछ दिन टालने की गुहार की। वहीं मुख्यमंत्री गहलोत की ओर से उनके अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पेश कर निचली अदालत की ओर से आरोप तय करने पर रोक की गुहार की।

'इस सरकार को प्रदेश में रहने का कोई हक नहीं'

जयपुर। प्रदेश में बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस की गहलोत सरकार पर निशाना साधा।

प्रदेश महामंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि आम आदमी सुरक्षित सड़कों पर निकल नहीं सकता है। इस कांग्रेस की महाभ्रष्ट सरकार ने हंसते खेलते प्रदेश को अपराधियों के हवाले कर दिया है। जो सरकार प्रदेश में नागरिकों को सुरक्षित वातावरण ना दे ऐसी सरकार को प्रदेश में रहने का कोई हक नहीं है।

राजस्थान में कांग्रेस कर रही है टिकटों के फार्मूले पर माथा पच्ची

राजस्थान में पहली सूची 22 अक्टूबर तक आने की उम्मीद

जयपुर, (का.प्र.)। राजस्थान कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक जयपुर में हुई थी और उसमें एक लाइन का प्रस्ताव पारित करने के बाद अब शनिवार को नई दिल्ली में राजस्थान की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है।

■ **दिल्ली में हुई स्क्रीनिंग कमेटी में वरिष्ठ पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री ने दिखाए तेवर**

इस बैठक के अंदर राजस्थान में उम्मीदवारों के चयन को लेकर चर्चा शुरू हुई है। खास बात यह है की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में वरिष्ठ पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री को विशेष रूप से भेजा गया है, ताकि जो कवायद राजस्थान में स्क्रीनिंग कमेटी के जरिए हुई है, वही कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से बनाए गए वरिष्ठ पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री की ओर से जो पर्यवेक्षक लोकसभावार भेजे गए थे, उनकी ओर से जो कवायद की गई है। उन सबका मिलान किया जा रहा है और इसके बाद तय होगा कि आखिरकार कि फार्मूले में किस विधानसभा सीट पर टिकट दिया जाएगा।

इधर कांग्रेस की टिकटों को लेकर एक पेच यह भी फंसा हुआ है कि मंत्री-विधायकों की निगेटिव रिपोर्ट आ रही है, लेकिन कांग्रेस इतने सारे मंत्री विधायकों की टिकट काटने का जोखिम भी नहीं उठाना चाहती। इसका एक कारण यह भी है कि भले ही मंत्री विधायकों के खिलाफ निगेटिव मार्किंग हो रही हो, लेकिन उनके विकल्प के रूप में बहुत सारी जगह ऐसी हैं, जहां कांग्रेस को नए मजबूत दावेदार नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में राजस्थान में उम्मीदवार चयन को लेकर कवायद अभी और लंबी चल सकती है। वैसे भी राजस्थान की सूचियां 22 अक्टूबर से पहले बाहर आएंगी, इसकी संभावना कम ही है। इसका कारण यह है कि राजस्थान में कांग्रेस 16 अक्टूबर से 13 जिलों में ईआरसीपी की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ यात्रा निकाल रही है और इसका उद्घाटन 16 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बारां जिले में करेंगे। वहीं 20 अक्टूबर को प्रियंका गांधी दौसा जिले में एक सभा को संबोधित करेंगी।

ऐसे में यदि पहले सूचियां आ जाती हैं और कहीं विरोध के स्वर उठाते हैं, तो उसका असर ईआरसीपी की मांग को लेकर की जाने वाली यात्रा पर भी पड़ेगा और कांग्रेस अध्यक्ष तथा प्रियंका गांधी की सभा में भी इसका असर पड़ सकता है। ऐसे में बताया यही जा रहा है कि तब तक कांग्रेस कवायद कर लेगी। फिर 22 के बाद में ही सूचिया सामने आएंगी और पता चल पाएगा कि आखिरकार उम्मीदवार चयन में पार्टी ने कौन सा फार्मूला अपनाया है।

नम्बर मिलाइए 9587884433

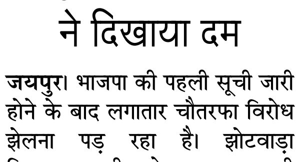

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त तृतीय
जे.एल.एन.मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर-0141-4901853
आम जाहिर सूचना राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा आवास संख्या-3/ग/14 नाहरी का नाका जयपुर, क्षेत्रफल 166.00 वर्ग मीटर का आवंटन श्री उत्तम चन्द पुत्र श्री रामचन्द एवं श्रीमती परमेश्वरी देवी पत्नी श्री उत्तम चन्द को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 3499 दिनांक 25/05/1978 जारी किया गया। उनके द्वारा आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर अष्टम में दिनांक 30/07/2018 को किया गया।
श्री उत्तम चन्द की मृत्यु दिनांक 30/04/2020 को श्रीमती परमेश्वरी देवी की मृत्यु दिनांक 24/03/2019 को हो जाने के कारण श्री नन्द किशोर पुत्र स्व.श्री उत्तम चन्द के द्वारा आवेदन पत्र के साथ क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं रजिस्टर्ड हक्त्याग की छाया प्रति प्रस्तुत कर उक्त आवास का प्रतिस्थापन अपने नाम करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के प्रतिस्थापन के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्री नन्द किशोर पुत्र स्व.श्री उत्तम चन्द के पक्ष में उक्त आवास के प्रतिस्थापन की कार्यवाही कर दी जावेगी।
सम्पदा प्रबंधक, वृत तृतीय, रा.आ.मण्डल, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda/urban.rajasthan.gov.in
क्रमांक-ज.वि.प्रा./उपा/जोन-4/2023/डी-1999 दिनांक-13/10/23
प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन जयपुर क्षेत्र में स्थित जयपुर इण्डस्ट्रीयल एस्टेट गृह निर्माण सहकारी समिति लि.की योजना आदिनाथ नगर के भूखण्ड संख्या एस-4 क्षेत्रफल 478.00 वर्गगज की लीजडीड जविप्रा के द्वारा दिनांक 12.05.2023 को श्री अजय ठड्ढा पुत्र श्री कानमल ठड्ढा के नाम से जारी किया गया। श्री अजय ठड्ढा पुत्र श्री कानमल ठड्ढा के द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम-2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त भूखण्ड का भू-उपयोग मास्टर/जोनल विकास योजना में दर्शित मिश्रित भू-उपयोग के अनुसार आवासीय से मिश्रित भू-उपयोग प्रयोजनार्थ किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।
उक्त भूखण्ड के साईट प्लान अनुसार उत्तर दिशा की ओर 40 फीट रोड, दक्षिण दिशा की ओर भूखण्ड संख्या एस-3, पूर्वी दिशा की ओर भूखण्ड संख्या एस-47 एवं पश्चिमी दिशा की ओर 80 फीट रोड स्थित है।
अतः नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम 2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त भूखण्ड का भू-उपयोग मास्टर/जोनल विकास योजना अनुसार आवासीय से मिश्रित भू-उपयोग प्रयोजनार्थ किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त उपान्तरण के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति हो तो किन्हीं दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस की कालावधि के भीतर आपत्ति/सुझाव निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रस्तुत कर सकते है।
यह विज्ञप्ति आज दिनांक 13.10.2023 को जारी की गई।
उपायुक्त जोन-4, जविप्रा, जयपुर

खोया पाया
मेरे मकान नम्बर 7/434, मालवीय नगर, जयपुर राज. के मूल आवंटन पत्र एवं कब्जापत्र कहीं गुम हो गये है। कृपया मिलने पर सूचित करें। मो.8890864986 भीमसैन गोगिया पुत्र शिवदयाल गोगिया पता-सांगानेर सर्विस स्टेशन, एयरपोर्ट के सामने, सांगानेर, जयपुर

NAME CHANGE
I Lalit Manwani S/o Bhogi Lal Manwani residing at 5-CHHA-32, Housing Board, Shastri Nagar, Jaipur 302016 (Raj.). Do hereby solemnly affirm and state that I have changed my name from Lalit Kumar Manwani to Lalit Manwani. In future I will be known by my changed name.
Date-14/10/23 Deponent

I Mantoh Devi W/o Mahesh Kumar Yadav residing at 173, Chatarpura, Keera Ki Dhani, Tehsil Bansur Alwar (Raj.) 301024. Do hereby solemnly affirm and state that I have changed my name from Mamta Devi to Mantosh Devi. In future I will be known by my changed name.
Date-14/10/23 Deponent

I Mahesh Kumar Yadav S/o Moolchand Yadav residing at 173, Chatarpura, Keera Ki Dhani, Tehsil Bansur Alwar (Raj.) 301024. Do hereby solemnly affirm and state that I have changed my name from Mahesh & Mahesh Yadav to Mahesh Kumar Yadav. In future I will be known by my changed name.
Date-14/10/23 Deponent

I Mohan Kamar legally wedded spouse army no 8008789 rank sipai late pep singh R/O village charda post khera teh.amber district jaipur have changed my name From MOHAN KAMAR (DOB 1/1/1952) is wrong entered in service To MOHAN KANWAR (DOB 6/9/1952) vide affidavit dated 13 oct.2023 before district notary Jaipur

उत्तर पश्चिम रेलवे G20
ई-निविदा
निम्नलिखित कार्य / कार्यों हेतु कार्यपालक इंजीनियर (कारखाना) लोको अजमेर के कार्यालय से ई-निविदा आमंत्रित की जा रही हैं। **निविदा सं.:** 02 वर्कशॉप-अजमेर-2023-24, **कार्य का नाम:** अजमेर-सीएसडी/अजमेर-रिसीप्ट सेक्शन अप्रोक्स साईज 35x20 मीटर, नियर ओल्ड बीटीसी प्रोवाइडिंग कवरशेड वीथ हार्डोनाइट / ओर कोंकरिट हेवी ड्यूटी फलोरिंग अलोंग विद बाउण्ड्री वाल ऑफ अप्रोप्रीयेट हाइट। दिस वील आलसो इनक्लुडस चेम्बर ऑफ आफिसीयलस विद बेसिक एमेनिटिज, **अनुमानित लागतः** ₹10097950.15, **धरोहर राशि/बिड सिक्यूरिटीः** ₹200500.00, **निविदा की अंतिम तिथिः** 17.11.2023 को 15:00 बजे तक। उपरोक्त ई निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी रेलवे की वेबसाइट www.ireps.gov.in पर तथा इस कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है।
1103-PR/23
हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

उत्तर पश्चिम रेलवे G20
खुली ई-निविदा सूचना
मंडल रेल प्रबंधक इन्जीनिरिंग उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर के द्वारा भारत संघ के राष्ट्रपति एवम् उनकी ओर से ई-निविदा के माध्यम से प्रचलित नियमों के अनुसार निर्धारित प्रपत्रों में निविदा निम्न कार्यों के लिए क्रमानुसार आमंत्रित की जाती है। **निविदा संख्या/कार्य का नामः** इंजी/जय /2023-24/84, वरि. मंडल इन्जी/मुख्यालय/जयपुर मंडल-सहायक मंडल इन्जी/मुख्यालय-।।/जयपुर के कार्य क्षेत्र में विभिन्न ट्रैक सेफ्टी प्रस्तावित कार्य करने का कार्य, **अनुमानित लागतः** ₹17867470.29, **बिड प्रतिभूति राशिः** ₹239300/-, 1. उपरोक्त निविदाओं का पूर्ण विवरण वेबसाइट www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है। नोटिस बोर्ड-मंडल रेल प्रबन्धक (निर्माण लेखा) उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर के कार्यालय में देखी जा सकती है, 2. निविदा संख्या इंजी/जय/2023-24/84 की बन्द होने की तिथि 06.11.2023 समय 15.30 बजे एवं खुलने की तिथि 06.11.2023 समय 16.00 बजे, 3. निविदा संख्या इंजी/जय/2023-24/84 M/S R.K. Enterprises-Bhopal, E-7/6 Indra Vihar Colony Bhopal (M.P.) में भाग नहीं ले सकते हैं।
1095-PR/23
हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

नाम परिवर्तन
मैं आशा कालरा पत्नी कमलेश चन्द्र अग्रवाल निवासी 3A स्वामी सर्वानन्द कॉलोनी शयामीयो की ढाणी अजर-अमर महादेव मंदिर के पास नायला रोड़ जयसिंह पुरा खोर जयपुर, शपथ पूर्वक घोषणा करती हूं कि मैंने अपना नाम परिवर्तन करके आशा कालरा के स्थान पर आशा कमल अग्रवाल रख लिया है भविष्य में मुझे आशा कमल अग्रवाल पत्नी कमलेश चन्द्र अग्रवाल के नाम से जाना एवं पहचाना जावे।

न्यायालय उपतहसीलदार रेनवाल-मांझी (तह.माधोराजपुरा), जिला जयपुर
क्रमांक- भू.अ.-2023/241
सार्वजनिक सूचना दिनांक 12.10.2023
सर्वसाधारण आम या खास को सूचित किया जाता है कि इस न्यायालय का विचाराधीन वसीयत के आधार पर नामान्तकरण खुलवाने बाबत प्रकरण संख्या 01/2023 में प्रार्थी श्री दानाराम पुत्र हरदयालाराम जाति- धानका, नि. पदमपुर, जिला-गंगानगर ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर ग्राम-बीडारामचन्द्रपुरा, तह. माधोराजपुरा में स्थित कृषि- भूमि के वसीयतकर्ता खातेदार मुखियारचन्द पुत्र हरदयालराम द्वारा की गई वसीयत दिनांक 23.08.2007 के आधार पर नामान्तरण खुलवाना चाहा है। वसीयतकर्ता के खातेदार की मृत्यु दि. 31.01.2012 को हो जाने पर उक्त वसीयत की गई आराजी के सम्बन्ध में वसीयतकर्ता के वारिसान या किसी अन्य आम/खास को आपत्ति/ एतराज हों या अन्य कोई वसीयत हो तो मय साक्ष्य सबूतो /दस्तावेजों के सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने की दिनांक से अन्दर 15 दिवस में किसी भी कार्यदिवस को हस्तगत न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। बाद- मियाद कोई उज्र/ एतराज नहीं सुना जाकर प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावेगा। सूचित रहें।
उपतहसीलदार रेनवाल मांझी, तह. माधोराजपुरा

न्यायालय तहसीलदार दूदू जिला दूदू
क्रमांक-LR/2023/2319
दिनांक-13/10/23
आम सूचना
प्रार्थी बन्नालाल मेव पुत्र भंवरलाल जाति बलाई नि.जसुपुरा ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मृतक खातेदार लालाराम पुत्र कामड जाति बलाई नि.जसुपुरा द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयत उपपंजीयक कार्यालय दूदू में दि.13.6.2001 के आधार पर ग्राम जसपुरा दूदू के खाता सं.56 किता 5 रकबा 1.44 है. में हि.1/10 खाता सं. 80 किता 17 रकबा 6.90 में हि. 1/21 खाता सं.172 किता 1 रकबा 0.75 है. में 11/1050 खाता सं. 173 किता 2 रकबा 0.77 है. में हि.1/14 खाता सं. 174 किता 4 रकबा 0.57 है. में हि.1/14 खाता सं. 175 किता 1 रकबा 1.45 है. में हि.1/14 खाता सं.85 किता 1 रकबा 0.43 में हि.6/645 खाता सं.176 किता 11 रकबा 0.89 है. में हि.1/7 खाता सं. 79 किता 6 रकबा 0.33 में हि.1/42 खाता सं.141 किता 1 रकबा 0.05 में हि.1/14 में दर्ज खातेदार लाला पुत्र कामड के बनाए विरासत का नामान्तरकरण बन्नालाल मेव पुत्र भंवरलाल के पक्ष में खोलने हेतु निवेदन किया है जिसकी कार्यवाही न्यायालय हाजा में जेरकार है।
हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि उप पंजीयक कार्यालय दूदू में रजिस्टर्ड वसीयत दि.13/6/2001 पर किसी व्यक्तिको कोई दावा/आपत्ति/हक हो तो इस आम सूचना के प्रकाशन के सात दिवस में स्वयं/प्लीडर के द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। कोई आपत्ति/दावा प्राप्त नहीं होने पर प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार कर दिया जावेगा। सूचित रहे।
तहसीलदार (भू.अ.) तहसील दूदू (जिला दूदू)

विवाद्कों के विथरीकरण के लिए सम्मन (आदेश 5 के नियम 1 व 5) (शीर्षक)
प्रेषिति न्यायालय श्रीमान चतुर्थ अपर सिविल जज (क0 वर्ग) कानपुर नगर
वाद सं. 227 वर्ष 2022
जोगेन्दर सिंह आयु लगभग 40 वर्ष पुत्र स्व. राम फुलेना सिंह नि0 H.I.G-2 बर्रा-3 जनता नगर कानपुर नगर.....................वादी
बनाम
(1) बउअन पुत्र स्व. सहुनी उर्फ सोहन लाल नि0 ग्राम व पोस्ट सचेण्डी तहसील व जिला-कानपुर
(2) श्रीमती कुसुमा पत्नी ब्रजपाल सिंह नि0 प्लाट नं. G-735 फेस-आई, रीको इण्डस्ट्रियल एरिया भिवाड़ी हरचन्दपुर जिला अलवर राजस्थान
ने आपके विरूद्ध धारा 12, 31 व 37(2) वि0अनु0अधि0 के लिये वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में तारीख 19.10.2023 को दिन में 10 बजे जो दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है। जिसके सम्यक अनुदेश दिये गये हों और इस वाद से संबन्धित सभी साखान प्रश्नों का उत्तर दे सकें या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेजों जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है, और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज रप चाहे वह आपके कब्जे में शक्ति में हो या न हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों की, लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह आज ता0 28.09.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुहर लगाकर दिया गया है।